मि0सं0 13034-1/2015-रा0भा0ए0
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
राजभाषा प्रभाग
....

नई दिल्ली, शास्त्री भवन
दिनांक 20 मार्च, 2017

परिपत्र

विषय: राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित सरकार के आदेशों के अनुपालन के बारे में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय को अपनी तिमाही रिपोर्ट उक्त विभाग को ऑनलाइन भेजनी होती है। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के आदेशों के अनुपालनार्थ कृपया निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करें:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/विश्वविद्यालय/प्रौद्योगिकी संस्थान/प्रबंध संस्थान/निकाय अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से एवं समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजना सुनिश्चित करें। यह रिपोर्ट संबंधित तिमाही की अवधि समाप्त होने के एक माह के अंदर राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर ऑनलाइन भेजी जाए।

2. जिन कार्यालयों ने अभी तक तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने के लिए उक्त वेबसाइट पर पंजीकरण नही करवाया है, ऐसे सभी कार्यालय अपना पंजीकरण अविलम्ब करवाएं।

3. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दें।

4. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 उप-धारा 3 के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को अनिवार्यत: हिंदी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।

5. हिंदी पत्राचार के बारे में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड फांट का प्रयोग किया जाए।

7. कर्मचारियों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्रशिक्षित किया जाए।

8. हिंदी में टिप्पणियां निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लिखी जाएं।

9. कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने तथा तद्नुरूप वातावरण बनाने के लिए उत्साहवर्धक कार्यक्रम जैसे कार्यालय के विषय से संबंधित संगोष्ठियां, सेमिनार, प्रतियोगिताएं तथा अन्य आयोजन किए जाएं।

10. कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्य-योजना (Action Plan) बनाई जाए।

केवल शर्मा

(केवल कुमार शर्मा)
सचिव, भारत सरकार

<u>वितरण:</u>

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/विश्वविद्यालयों/प्रौद्योगिकी संस्थानों/प्रबंध संस्थानों/निकायों के प्रमुख।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को दिनांक 17 फरवरी, 2017 के पत्र सं012024/16/2017-राभा(का.2) के संदर्भ में प्रेषित।
3. वेबमास्टर को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड मिसिल।